



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ५, अंक ८२

गुरुवार, डिसेंबर १२, २०१९/अग्रहायण २१, शके १९४१

[पृष्ठे २ किंमत : रुपये १.००]

असाधारण क्रमांक १२८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

वित्त विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ डिसेंबर २०१९.

क्रमांक एमआयएम. १०.१९/प्र.क्र. १२२/अर्थोपाय.—भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड यांच्याकडून भारत सरकारच्या असाधारण
राजपत्र भाग-III, खंड-४ क्रमांक ३११ मध्ये दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी प्रसिद्ध झालेली खालील अधिसूचना माहितीसाठी याद्वारे
पुनः प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :—

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 सितम्बर, 2019

सं.सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/30.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, नेशनल कमोडिटी क्लीयरिंग लिमिटेड, आकृति कारपोरेट पार्क, पहली मंज़िल, एल. बी. एस. मार्ग, कांजुर मार्ग (पश्चिम), मुंबई 400 078 द्वारा प्रतिभूती संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 [सिक्क्यूरिटीज़ कॉण्ट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन) रेग्यूलेशन्स, 2018] के विनियम 12 के तहत मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति, संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्क्यूरिटीज़ कॉण्ट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को मान्यता का नवीकरण 10 सितम्बर, 2019 को प्रारंभ होने वाली और 9 सितम्बर, 2022 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए, यहाँ नीचे उल्लिखित शर्तों या जो इसके बाद निर्धारित की जाएँ या लगाई जाएँ के अध्यक्षीन, प्रदान करता है :

- उक्त समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करेगा।

एस. के. मोहान्ती,

पूर्णकालिक सदस्य.

[विज्ञापन-III/4/असा./198/19].

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th September 2019.

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/30.—Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition under Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 by National Commodity Clearing Limited, Ackruti Corporate Park, 1st Floor, L. B. S. Road, Kanjur Marg (W.), Mumbai 400 078 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said clearing corporation for three years commencing on the 10th day of September, 2019 and ending on the 9th day of September, 2022 subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter :

- The Clearing Corporation shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

S. K. MOHANTY,
Whole Time Member.
[ADVT.-III/4/Exty./198/19].

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ज. बा. कुलकर्णी,
शासनाचे उप सचिव.